यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

बनाम

के. पी. एस. रघुवंशी और अन्य

(सिविल अपील संख्या 13776-13777/2015)

11 मई, 2017

(अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा, जेजे.)

सेवा कानून-पदोन्नति-विभागीय पदोन्नति समिति (डी. पी. सी.)-की सिफारिशें-को चुनौती-उत्तरदाता नं. 1, भारतीय तटरक्षक सेवा में डी. आई. जी.-महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की मांग-डी. पी. सी. की सिफारिशें-प्रतिवादी नं. 1 द्वारा उक्त सिफारिशों को अवैध, मनमाना और चयन बोर्ड के आयोजन से एक महीने पहले बनाई गई चयन नीति के आधार पर संचालित करने को चुनौती देते हुए, सी. जी. ओ. 02/09 ने सी. जी. ओ. 02/05 को हटा दिया; और यह कि महानिदेशक ने 90 दिनों की अनिवार्य अवधि के लिए पदधारी के प्रदर्शन का निरीक्षण नहीं करने के बावजूद, 01.02.2008 से 31.01.2009 तक की अवधि के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के ए. सी. आर. का समर्थन किया-उच्च न्यायालय ने माना कि सी. जी. ओ. 02/09 में परिलक्षित ए. सी. आर. मानदंड के आधार पर डी. पी. सी. का संचालन करना अवैध था; और यह कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तीन महीने पूरे नहीं किए गए थे, इसलिए डी. जी. आई. सी. जी. ए. सी. आर. लिखने और समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं था- उच्च न्यायालय ने अधिकारियों के योग्य बैच के भीतर "सापेक्ष योग्यता आधारित चयन" पर आई. जी. के पद पर पदोन्नति का आदेश दिया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः जो नियम अस्तित्व में थे, जब रिक्तियां उत्पन्न हुईं, उन्हें तब तक ध्यान

में रखा जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से निर्णय नहीं लिया जाता-विचाराधीन पद केवल वर्ष 2009 में बनाए गए थे-डी. पी. सी.-सी. जी. ओ. 02/09 को कॉल करने में कोई देरी नहीं हुई थी जो 4 साल की कवायद के बाद जारी की गई थी-इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि सी. जी. ओ. 02/05 को लागू किया जाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब डी. पी. सी. की तारीख 23.07.2009 थी-यह डी. पी. सी. की तारीख है जो मायने रखती है और प्रक्रिया जो उस तारीख को प्रचलित है जिस पर डी. पी. सी. आयोजित की जाती है- इस प्रकार, सी. जी. ओ. 02/09 में निहित प्रावधान लागू होंगे और डी. पी. सी. को सी. जी. ओ. 02/09 में निहित ए. सी. आर. से संबंधित निर्देशों के अनुसार सही ठहराया गया था-इसके अलावा, पूर्व पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो गए थे और इस प्रकार, समीक्षा लिखने के लिए उपलब्ध नहीं थे-90 दिनों की अनिवार्य अवधि पूरी होने से पहले डी. जी. आई. सी. जी. द्वारा मामले के तथ्यों में समीक्षा की जा सकती थी-इस प्रकार, डी. जी. आई. सी. जी. अधिकारी, जिसने 90 दिन पूरे नहीं किए थे, सचिव की टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से सक्षम था-उच्च न्यायालय ने अन्यथा ठहराने में कानून में गलती की थी-दी गई टिप्पणियाँ, डी. जी. आई. सी. जी. की ओर से कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाती हैं-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-जब भी अवसर आता है, अपीलकर्ता प्रत्यर्थी सं. 1 के आई. जी. के पद पर पदोन्नति के लिए कानून के अनुसार मामले पर विचार करेंगे - कोस्ट गार्ड (वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1987-भारत सरकार (व्यवसायों का लेनदेन) नियम, 1961-नियम 11 (i) (c)-तटरक्षक (सामान्य) नियम, 1986-तटरक्षक आदेश 02/05 और तटरक्षक आदेश 02/09.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 136-विशेष अनुमति याचिका- की रखरखाव क्षमता-नए सिरे से एसएलपी दाखिल करने की अनुमति लिए बिना उच्च न्यायालय के समक्ष

समीक्षा आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ एसएलपी को वापस लेना- इसके बाद, समीक्षा आवेदन दायर किया गया और उसे खारिज कर दिया गया- नए एस. एल. पी. का रखरखाव- अभिनिर्धारित किया गयाः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब अपील दायर करने की अनुमति दी गई है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इस प्रभाव से संशोधित करना उचित है कि समीक्षा आवेदन खारिज होने की स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा नए एसएलपी में पारित आदेश पर हमला करने की स्वतंत्रता दी गई है- चूंकि आदेश को संशोधित किया गया है, इसलिए अपीलों को बनाए रखा जा सकता है।

वाई. वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव (1983) 3 एस. सी. सी. 284-विशिष्ट।

संध्या एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 7 एससीसी 701; खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम महादेश्वर एस. एस. के. लिमिटेड (2012) 12 एस. सी. सी. 291-संदर्भित।

प्रकरण विधि संदर्भ

(1983) 3 एस सी सी 284	विशिष्ट	पैरा 19
(2014) 7 एस सी सी 701	संदर्भित	पैरा 28
(2012) 12 एस सी सी 291	संदर्भित	पैरा 34

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की सिविल अपील संख्या 13776-13777

2009 के डब्ल्यू. पी. सं. 10726 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 04.09.2014 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2015 की आई. ए. संख्या 1 (संशोधन के लिए)

में

2014 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30380 और 2015 की सी. ए. संख्या 13778 में।

पी. एस. पटवालिया, ए. एस. जी., अमोल चितले, शंकर दिवाते, रजत सिंह, एम. के. मारोरिया, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए बद्री प्रसाद सिंह, अभिषेक सिंह, परमानंद, अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

आदेश

1. भारत संघ और अन्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 4 सितंबर, 2014 के फैसले और आदेश से व्यथित अपीलों को प्राथमिकता दी है और 19.12.2014 के आदेश के माध्यम से समीक्षा आवेदन को भी खारिज कर दिया है। 2. तटरक्षक सेवाओं में तैनात डी. आई. जी. के. पी. एस. रघुवंशी-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 06.08.2009 पर एक रिट याचिका (सी) संख्या 10726/2009 दायर की गई थी। उन्होंने महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में 'डी. पी. सी.') की सिफारिशों पर सवाल उठाया था, जिसे अवैध, मनमाना और चयन नीति के आधार पर संचालित किया गया था, जिसे चयन बोर्ड के आयोजन से एक महीने पहले तैयार किया गया था। प्रतिवादी ने 90 दिनों की अनिवार्य अवधि के लिए पदधारी के प्रदर्शन का निरीक्षण नहीं करने के बावजूद, उत्तरदाता संख्या 1 से 01.02.2008 से 31.01.2009 की अवधि के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (संक्षेप में ए सी आर) का समर्थन करने में महानिदेशक

(तटरक्षक) की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया था, जैसा कि तटरक्षक आदेश (संक्षेप में 'सी जी ओ') संख्या 04/2005 की नीति में निहित है। उपरोक्त अवधि के लिए एसीआर बुलाने और वर्ष 2008-2009 के लिए की गई प्रविष्टि को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की गई थी। सी. जी. ओ. संख्या 02/09 को निरस्त करने के लिए भी प्रार्थना की गई।

3. संक्षेप में तथ्य बताते हैं कि के. पी. एस. रघुवंशी जनवरी, 1984 में भारतीय तटरक्षक सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने बेदाग सेवा प्रदान करने का दावा किया और एक उत्कृष्ट कैरियर बनाया, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्हें एसीआर श्रेणीकरण के अनुसार विभिन्न पदों पर पदोन्नत किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को 2005 में डी. आई. जी. के पद पर पदोन्नत किया गया था और वह संबंधित समय पर उप महानिरीक्षक (संक्षेप में 'डी. आई. जी.') का पद धारण कर रहा था जब वह महानिरीक्षक (संक्षेप में 'आई. जी.') के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने वाला था। आई. जी. के पद पर चार पदों का सृजन किया गया था।

4. यह अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2005 में डी. आई. जी. के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित डी. पी. सी. के दौरान उत्तरदाता संख्या 1 को योग्यता सूची में पहले स्थान पर रखा गया था। वे नेवल वार कॉलेज (यू. एस. ए.) के पूर्व छात्र हैं। वह इस पाठ्यक्रम के लिए चुने जाने वाले पहले तटरक्षक अधिकारी थे, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन और पैनल में अन्य अधिकारियों की तुलना में उनकी स्थिति के आधार पर थे। प्रत्यर्थी को 15 अगस्त, 2007 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा के लिए "तटरक्षक पदक" से सम्मानित किया गया था और उनके असाधारण काम के लिए निदेशक द्वारा दो अलग-अलग अवसरों पर उनकी सराहना भी की गई थी। मई, 2006 में, वह डी. आई. जी. में योग्यता में पहले थे और उन्हें नेशनल कमांड कॉलेज (एन.

सी. सी.) कोरिया के लिए चुना गया था। इसके बाद, सितंबर, 2008 में वह एक बार फिर राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एन. डी. सी.) पाठ्यक्रम, नई दिल्ली के लिए 5वें बैच के अधिकारियों में योग्यता में प्रथम स्थान पर रहे।

5. यह भी कहा गया कि 16.02.2009 को, मुंबई पर 26.11.2008 हमले के मद्देनजर, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (संक्षेप में 'सी सी एस') ने अतिरिक्त महानिदेशक के एक पद, आइ जी (जी डी) के तीन पदों और आइजी (टेक) के एक पद को मंजूरी दी और इसे रक्षा मंत्रालय के दिनांक 24.02.2009 के पत्र के माध्यम से तटरक्षक मुख्यालय को सूचित किया। चूंकि नए पदों को मंजूरी दी गई थी, इसलिए पदों को भरने के लिए डी. पी. सी. का आयोजन आवश्यक था। संबंधित चयन वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक शुरू हुआ। आई. जी. (जी. डी.) के एक पद के लिए 18.04.2009 को डी. पी. सी. आयोजित करने के लिए 01.04.2009 दिनांकित एक प्रस्ताव, जिसे विचार के प्रतिबंधित क्षेत्र यानी सामान्य कर्तव्य के चौथे बैच के लिए, रक्षा मंत्रालय (संक्षेप में 'एम. ओ. डी.') को भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय द्वारा 02.04.2009 को निदेशक (नौसेना-II) के स्तर पर खारिज कर दिया गया था। फिर से 13.04.2009 पर, सी जी ओ 02/2005 में दो संशोधनों के साथ-साथ 01.04.2009 के पहले के प्रस्ताव को दोहराते हुए डी. पी. सी. की संरचना के लिए एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को सी जी एच क्यू को भेजा गया था। रक्षा मंत्रालय ने 16.04.2009 पर फिर से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इस बार, रक्षा सचिव के स्तर पर। रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर सी. जी. एच. क्यू. को सी. जी. ओ. 02/05 का पालन करने और डी. पी. सी. का शीघ्र संचालन करने का निर्देश दिया। उपरोक्त कार्यवृत्त दिनांक 16.4.2009 का उद्धरण निम्नलिखित हैः

"नोटिंग-दिनांक 15 अप्रैल, 2009-

"7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया गया है कि सी. जी. एच. क्यू. को सी. सी. एस. द्वारा अनुमोदित महानिरीक्षक के नए स्वीकृत पदों को भरने के लिए एस. आर. ओ. 133 और सी. जी. ओ. 02/05 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए तटरक्षक संवर्धन बोर्ड संख्या 1 का गठन करने की सलाह दी जा सकती है। विचार का क्षेत्र कृपया सी. जी. ओ-02/2005 के पैरा 7 (डी) में उल्लिखित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जा सकता है।

हस्ताक्षर द्वारा/-

वी के तिवारी

निदेशक (नेवी-II)

15 अप्रैल 2009

16 अप्रैल 2009 दिनांकित नोटिंग-

"हम डी. जी. सी. जी. को इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर डी. पी. सी. के साथ आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं। यह भी शीघ्रता से किया जा सकता है।

हस्ताक्षर द्वारा/-

रक्षा सचिव

16.04.2009

6. याचिका में आगे यह कहा गया कि आई. जी. ने 27 अप्रैल, 2009 को नोट किया था कि इस पद को संशोधित तटरक्षक (वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1987

और सी. जी. ओ. 02/05 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार भरा जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि संशोधित तटरक्षक नियम, 1987 और सी. जी. ओ. 02/05 में मौजूद प्रावधानों के अनुसार, डी. पी. सी. के समय मौजूद सभी रिक्तियों पर विचार किया जाना चाहिए। उप महानिदेशक (संक्षेप में 'डीडीजी') के दिनांक 27.04.2009 के आदेश के अनुसार, यह आगे देखा गया कि आईजी, पदोन्नति के लिए रिक्तियों को जारी करने पर प्रतिबंध लगाना उक्त प्रावधानों से विचलन हो सकता है और बाद के चरण में कानूनी जटिलताओं का कारण बन सकता है।

7. इस प्रकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देश को प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से समझा गया था कि पदों को सी. जी. ओ. 02/05 के अनुसार भरने की आवश्यकता थी, न कि सी. जी. ओ. 02/09 के अनुसार जिसे डी. पी. सी. (23.07.2009) की निर्धारित तिथि से एक महीने पहले यानी 19.6.2009 पर अनुमोदित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि डी. पी. सी. को योग्यता में हेरफेर करने के लिए ए. सी. आर. मानदंडों के चुनिंदा परिवर्तन के साथ गलत तरीके से संचालित किया गया था। सी. जी. ओ. 04/05 के पैरा 54 में निर्धारित 90 दिनों की अनिवार्य अवधि के लिए अधिकारी का निरीक्षण नहीं करने के बावजूद, तत्कालीन महानिदेशक वाइस एडमिरल अनिल चोपड़ा द्वारा 2008 से 2009 की अवधि के लिए प्रत्यर्थी के ए. सी. आर. की समीक्षा की गई थी।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति (सी. सी. एस.) ने अपनी बैठक में उच्च प्रशासनिक ग्रेड में अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक बल का एक पद, आई. जी. के पद पर तटरक्षक क्षेत्र (उत्तर पश्चिम) के कमांडर का एक पद और तटरक्षक मुख्यालय में आई. जी. के पद पर उप महानिदेशक (अधिग्रहण, तकनीकी और तटीय सुरक्षा) के तीन पद बनाने का निर्णय लिया।

9. डी. जी. तटरक्षक को लिखे गए संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, दिनांक 24.02.2009 के पत्र से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि पदों के लिए अंतिम मंजूरी सी. सी. एस. द्वारा फरवरी, 2009 में दी गई थी। इस प्रकार, इन पदों को सी. जी. ओ. 02/05 के अनुसार भरा जाना आवश्यक था, न कि सी. जी. ओ. 02/09 घोषित करने वाले आदेश के अनुसार। समीक्षा अधिकारी, अर्थात तटरक्षक महानिदेशक द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित मामला यह था कि उसने उस घटना को ध्यान में रखा जो उस अवधि से पहले हुई थी जिसमें एसीआर किया गया था, अर्थात, 01.02.2008 से 31.01.2009 तक। संबंधित अवधि के लिए ए. सी. आर. लिखना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि अधिकारी ने उनके अधीन 90 दिन पूरे नहीं किए थे।

10. सी. जी. ओ. 02/09 को आइ जी के सी पांडे को लाभान्वित करने के लिए जारी किया गया था, क्योंकि वह सी. जी. ओ. 02/05 के तहत निर्दिष्ट आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। इस प्रकार, अवैध रूप से आइ जी के सी पांडे को लाभ बढ़ाने के लिए, सी. जी. ओ 02/09 जारी किया गया। डी. पी. सी. को सी. जी. ओ 02/09 द्वारा शुरू किए गए ए. सी. आर. पर विचार करने के लिए क्षेत्र के बदले हुए मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं किया जा सकता था।

11. उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा स्थापित मामला यह था कि प्रतिवादी के मामले पर आई. जी. के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था, वह उपयुक्त नहीं पाया गया था। पदोन्नति बोर्ड की संरचना, रिक्तियों को जारी करने, पदों की संख्या में वृद्धि, ए. सी. आर. पर विचार करने के लिए मानदंड आदि से संबंधित सी. जी. ओ. संख्या 02/05 और उचित विचार-विमर्श के बाद, सी. जी. ओ. 02/09 को सी. जी. ओ. 02/05 के स्थान पर घोषित किया गया। डी. जी. आई. सी.

जी. द्वारा अनुमोदित सी. जी. ओ. 02/09 को सी. जी. ओ. 02/09 द्वारा अधिसूचित संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार जुलाई, 2009 में आई. जी. के चार पदों के लिए डी. पी. सी. के संचालन के लिए विभाग द्वारा मंत्रालय को 18.5.2009 पर भेजा गया था और संयुक्त सचिव ने भी 19.06.2009 पर हस्ताक्षर किए थे।

12. यह भी कहा गया कि ए. सी. आर. मानदंडों को सरकारी निर्देशों (डी. ओ. पी. एंड टी. दिशानिर्देश) के अनुसार संशोधित किया गया था, जिसमें प्रावधान है कि पिछले पांच वर्षों के लिए ए. सी. आर. जिसमें निम्न श्रेणी में ए. सी. आर. शामिल हैं, यदि आवश्यक हो, तो पदोन्नति के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाए। इसलिए, इसके अनुरूप पदोन्नति दिशानिर्देश लाने के लिए सी. जी. ओ. 02/09 को सी. जी. ओ. 02/05 के प्रावधानों को संशोधित करके जारी किया गया था, ताकि तटरक्षक अधिकारियों की पदोन्नति की संभावनाओं, मनोबल और दक्षता को बढ़ाया जा सके और यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से नहीं किया गया था, जैसा कि प्रतिवादी ने कहा था। प्रक्रिया 2005 में शुरू की गई थी। पदोन्नति बोर्ड, जिसे 23.07.2009 पर बुलाया गया था, सी. जी. ओ. 02/09 में निहित संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था।

13. यह भी तर्क दिया गया कि तटरक्षक अधिकारियों पर ए. सी. आर. में अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश सी. जी. ओ. 04/05 में निहित हैं। चूंकि महानिदेशक सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए सी. जी. ओ. 04/05 के पैरा 54 में दिए गए प्रावधान के अनुसार, 90 दिनों के लिए अधिकारी के प्रदर्शन का निरीक्षण किए बिना, महानिदेशक तटरक्षक के लिए ए. सी. आर. लिखने के लिए खुला था।

14. 1987 के नियमों को ध्यान में रखा गया था और सी. जी. ओ. 02/09 के पैरा 7 में प्रावधान किया गया था कि पदोन्नति के लिए उपयुक्तता प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड और प्रदर्शन पर आधारित होगी, जैसा कि वर्तमान रैंक में अंतिम रिपोर्ट में

परिलक्षित होता है, यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो पिछले रैंक के ए. सी. आर. सहित 5 ए. सी. आर. पर विचार किया जाना था। नोटेशन देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि महानिदेशक ने बड़ी संख्या में अधिकारियों के एसीआर लिखने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि पूर्ववर्ती महानिदेशक सेवानिवृत्त हो चुके थे।

15. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 2008 की अवधि के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और कमांडेंट रैंक के 155 अधिकारियों सहित उप महानिरीक्षक रैंक के 36 अधिकारियों के एसीआर की समीक्षा की, जिनमें से सभी के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 ने न्यूनतम तीन महीने की अवधि के लिए अवलोकन नहीं किया था और समीक्षा की गई थी, प्रत्यर्थी संख्या 1 को छोड़कर किसी अन्य अधिकारी द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी। समीक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए ग्रेडिंग के संबंध में प्रतिवादी द्वारा दिनांकित 02.05.2011 के अभ्यावेदन को रक्षा मंत्रालय द्वारा 23.03.2012 पर खारिज कर दिया गया था।

16. जुलाई, 2009 में आयोजित डी. पी. सी. द्वारा आई. जी. के पद के लिए कुल मिलाकर 15 अधिकारियों पर विचार किया गया था। 15 अधिकारी, जिनमें से 9 अधिकारी प्रतिवादी नंबर 1 की तुलना में वरिष्ठ बैच के थे, के पास वर्तमान डी. आई. जी. के पद पर 5 ए. सी. आर. थे। उत्तरदाताओं के बैच में उनके सहित 5 अधिकारी शामिल थे, और सभी के पास डी. आई. जी. के वर्तमान रैंक में 5 ए. सी. आर. नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 2, आई. जी.-के सी पांडे के पास केवल 4 रिपोर्ट थे, यानी वर्ष 2004 से 2006 और 2008 के लिए डी. आई. जी. के पद पर। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के बैच के सभी 5 अधिकारियों के लिए, वर्ष 2004 और 2005 के लिए कमांडेंट रिपोर्ट और कमांडेंट के पद पर 2003 के लिए पांडे के ए. सी. आर. पर सी. जी. ओ. 02/09 के पैरा 7 के अनुसार विचार किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने पूर्ववर्ती की संख्यात्मक श्रेणीकरण को बनाए रखा था। सी. जी. ओ. 04/05 के पैरा 27 (ई) के

विपरीत, इस बात से भी इनकार किया गया कि घटनाओं का उल्लेख करने वाली कलम चित्र सामग्री दायरे से बाहर है।

17. इसके बाद अक्टूबर, 2011 और दिसंबर, 2012 में बुलाए गए पदोन्नति बोर्डों में आई. जी. के पद पर पदोन्नति के लिए उत्तरदाता नं. 1 के नाम पर दो बार विचार किया गया था, लेकिन उन डी. पी. सी. द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। आज तक कनिष्ठ बैच के किसी भी अधिकारी को आई. जी. के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है।

18. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा कहा कि सी. जी. ओ. 02/05 में निर्धारित मौजूदा ए. सी. आर. मानदंडों को गुप्त रूप से संशोधित किया गया था और संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय की मंजूरी 19.06.2009 पर प्राप्त की गई थी। चूंकि प्रस्ताव को मूल रूप से रक्षा सचिव के स्तर पर 16.04.2009 पर खारिज कर दिया गया था, इसलिए संयुक्त सचिव द्वारा 19.06.2009 पर दी गई मंजूरी बिना किसी अधिकार के थी। इस प्रकार, सी. जी. ओ. 02/09 के स्थान पर सी. जी. ओ. 02/05 की घोषणा के संदर्भ में परिलक्षित ए. सी. आर. मानदंड के आधार पर डी. पी. सी. का संचालन करना अवैध था।

19. उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि महानिरीक्षक के 4 पदों के लिए रिक्तियां सी. जी. ओ. 02/05 के संशोधन से पहले हुई थीं और उक्त पदों को 16.02.2009 पर बनाया और स्वीकृत किया गया था। वाई. वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा रखा गया है। उच्च न्यायालय ने राय दी है कि सामान्य रिक्ति, जो उत्पन्न हुई थी, संशोधित नियमों द्वारा नहीं, बल्कि अपरिवर्तित नियमों द्वारा शासित होगी। सरकार ने पुराने नियमों के तहत रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय लिया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों को

उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था। उच्च न्यायालय ने राय दी है कि संबंधित मंत्रालय के साथ उचित विचार-विमर्श किए बिना पदोन्नति की गई थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तीन महीने पूरे नहीं किए गए थे, इसलिए डीजीआईसीजी एसीआर लिखने और समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम नहीं था। नए पदाधिकारी द्वारा एसीआर लिखने के लिए की गई प्रार्थना को रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.04.2009 के संचार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

20. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रत्यर्थी अपीलार्थियों द्वारा योग्यता में हेरफेर करने के लिए एसीआर मानदंडों के चयनात्मक परिवर्तन के अपने मामले को स्थापित करने में सफल रहा है। प्रत्यर्थी यह स्थापित करने में भी सफल रहा है कि तत्कालीन डी. जी. आई. सी. जी. द्वारा 2008-2009 की अवधि के लिए उसके ए. सी. आर. की समीक्षा, सी. जी. ओ. 04/05 के पैरा 27 (ई) और पैरा 54 का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप उसे एक ही घटना के लिए दो बार दंडित किया गया था। आई. जी. के पद के लिए जो रिक्तियां 06.02.2009 पर हुई थीं, वे 2004 में संशोधित तटरक्षक (वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1987 के नियम 7 (3) के साथ पढ़े गए अपरिवर्तित नियमों, यानी सी. जी. ओ. 02/05 द्वारा शासित थीं। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी की ए. सी. आर. समीक्षा, उक्त सी. जी. ओ. के पैरा 55 (एफ. वी. डी.), पैरा 38 और पैरा 27 (ई.) के साथ पठित सी. जी. ओ. 04/05 के पैरा 54 का उल्लंघन करते हुए, अवैध और मनमाना दोनों थी और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अधिकारियों के योग्य बैच के भीतर "सापेक्ष योग्यता आधारित चयन" पर आई. जी. के पद पर पदोन्नति की जाएगी। समीक्षा डी. पी. सी. सी. जी. ओ. 02/05 के अनुसार ए. सी. आर. मानदंडों के आधार पर आयोजित की जानी चाहिए। यदि प्रतिवादी संख्या 1 को

पदोन्नति के लिए चुना जाता है, तो उसे उसी तारीख को पदोन्नत किया जाएगा, जब तीन अन्य व्यक्तियों को डी. पी. सी. दिनांक 23.07.2009 की सिफारिश के अनुसार पदोन्नत किया गया था। प्रत्यर्थी सुरक्षा सहित सभी काल्पनिक लाभों का हकदार होगा। प्रत्यर्थी को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद बनाने के लिए विभाग स्वतंत्र रहेगा।

21. शुरू में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 04.09.2014 के आदेश पर SLP (C) No.30380/2014 दाखिल करके सवाल उठाया गया था, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि इस न्यायालय ने याचिका के गुण-दोष पर विचार नहीं किया था।

22. समीक्षा आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2014 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, मुख्य याचिका के साथ-साथ पुनर्विचार याचिका के फैसलों पर सवाल उठाते हुए वर्तमान दीवानी अपील दायर की गई है।

23. एस. एल. पी. (सी) No.30380/2014 में आई. ए. संख्या 1/2015 होने का एक आवेदन न्यायालय के दिनांक 21.11.2014 के आदेश में संशोधन के लिए दायर किया गया था। इस न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 13776-13777/2015 के रूप में पंजीकृत अपील दायर करने और आइ ए संख्या 1/15 को लाइव रखने की अनुमति दी जिस का निर्णय वर्तमान दीवानी अपीलों की अंतिम सुनवाई के समय किया जाएगा।

24. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पी. एस. पटवालिया ने आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से अवैध है। इन पदों को 16.02.2009 पर नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में, भारत के

राष्ट्रपति द्वारा एक पद को मंजूरी दी गई थी, जिसका पत्र 22.05.2009 पर जारी किया गया था और 3 अन्य पदों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए 23.06.2009 पर संचार जारी किया गया था। डी. पी. सी. को तत्काल मामले में जुलाई, 2009 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां सी. जी. ओ. 02/05 का प्रावधान लागू किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कानून में गंभीर त्रुटि की है कि सी. जी. ओ. 02/05 में निहित प्रावधान लागू होंगे, न कि सी. जी. ओ. 02/09 के। डी. पी. सी. की तिथि उस उद्देश्य के लिए प्रचलित प्रशासनिक मानदंडों पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तिथि होगी और यह वह तिथि नहीं होगी जिस पर सी. सी. एस. ने मुलाकात की और पदों को मंजूरी दी।

25. उन्होंने कहा कि यह नियमों में संशोधन का मामला नहीं है। तटरक्षक महानिदेशक, तटरक्षक आदेश जारी करने के लिए सक्षम है, जैसा कि तटरक्षक (सामान्य) नियम, 1986 (संक्षेप में '1986 के नियम') के नियम 2 (डी) में दिया गया है। उक्त सी. जी. ओ. को रक्षा मंत्रालय की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी और संशोधन 02/09 में किया गया था जो 5 साल के ए. सी. आर. पर विचार करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (संक्षेप में 'डी. ओ. पी. टी.') के अनुरूप निर्देश लाने के लिए था, यदि वे उस रैंक में उपलब्ध नहीं थे जिससे पदोन्नति की जानी है, तो निचले रैंक के ए. सी. आर. को ध्यान में रखा जा सकता था। सी. जी. ओ. 02/09 को घोषित करने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं थी। सी. जी. ओ. से कई अधिकारी लाभान्वित हुए हैं, जिनमें प्रतिवादी भी शामिल हैं, जो विचार के लिए संशोधित सी. जी. ओ. के लाभार्थियों में से एक थे, क्योंकि डी. आई. जी. के पद पर उनके 5 ए. सी. आर. आई. जी. के पद के लिए उपलब्ध नहीं थे। यह आई. जी. पांडे को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं था और न ही दुर्भावनापूर्ण, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है।

26. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा आगे यह आग्रह किया गया कि सी. जी. ओ. 04/05 में निहित प्रावधानों को उच्च न्यायालय द्वारा गलत समझा गया था। वास्तव में, रक्षा मंत्रालय ने सी. जी. ओ. 04/05 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी थी। यह निर्णय पैरा 54 और सी. जी. ओ. 04/05 के अन्य प्रावधानों को गलत तरीके से पढ़ने पर आधारित है। इस प्रकार महानिदेशक तटरक्षक को ए. सी. आर. लिखने के लिए अधिकृत किया गया था, क्योंकि पूर्व पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके थे और समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने डी. आई. जी. रैंक के 32 अधिकारियों और कमांडेंट रैंक के 155 अधिकारियों के ए. सी. आर. लिखे थे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने आई. जी. के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित डी. पी. सी. को दरकिनार करके कानून में गलती की है। प्रतिवादी के बैच के अलावा किसी भी कनिष्ठ को पदोन्नत नहीं किया गया था। उत्तरदाता संख्या 1 को 2011-2012 में आयोजित बाद के डी. पी. सी. में उपयुक्त नहीं पाया गया था और उन वर्षों में भी, उनके किसी भी कनिष्ठ को पदोन्नत नहीं किया गया था।

27. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बी. पी. सिंह ने तर्क दिया कि एक बार इस न्यायालय में एस. एल. पी. दायर किए जाने और वापस लिए जाने के बाद, समीक्षा आवेदन को खारिज करने के बाद इस न्यायालय में नए सिरे से एस. एल. पी. दायर करने की स्वतंत्रता के बिना, अपील दायर करने के लिए अपीलकर्ताओं के लिए यह मौका नहीं है। इसे बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने संध्या एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

28. उत्तरदाता संख्या 1 के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सी. सी. एस. पदों को अनुमोदन देने और मंजूरी देने के लिए सक्षम था। अंततः 16.02.2009 पर पदों को मंजूरी दे दी गई थी। सी. जी. ओ., प्रासंगिक समय पर क्षेत्र धारण करना, अच्छा रहेगा और डी. पी. सी. को सी. जी. ओ. 02/05 में निहित ए. सी. आर. को ध्यान में रखना आवश्यक था। यह भी दृढ़ता से तर्क दिया गया कि डी. जी. आई. सी. जी. समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने और वर्ष 01.02.2008 से 31.01.2009 के लिए उसकी रिपोर्ट लिखने में सक्षम नहीं था, क्योंकि अधिकारी ने उसके अधीन तीन महीने की आवश्यक अवधि पूरी नहीं की थी। इसके अलावा, समीक्षा अधिकारी ने नवंबर, 2007 की घटना को ध्यान में रखा था। इस प्रकार, यह ए. सी. आर. लिखने के संबंध में सी. जी. ओ. 04/05 में निहित निर्देशों से परे जाने का मामला है। इस प्रकार, वर्ष 2008-2009 के लिए ए. सी. आर. को ध्यान में नहीं रखा जा सकता था। वही दूषित हो गया। इस प्रकार, जुलाई में आई. जी. के पदों के लिए आयोजित डी. पी. सी. को उच्च न्यायालय ने सही ही रद्द कर दिया था।

29. इसके अलावा, वकील ने आग्रह किया कि डी. पी. सी. को अस्वीकार्य, अप्रयोज्य निर्देशों पर आयोजित किया गया था। सी. जी. ओ. 02/09 में निहित निर्देश लागू नहीं थे और रक्षा मंत्रालय के निर्देश का उल्लंघन किया गया था। इससे पहले, फाइल रक्षा सचिव के पास गई थी जब उन्होंने 16.04.2009 को टिप्पणी की थी कि डी. पी. सी. को सी. जी. ओ. 02/05 में निहित निर्देशों के अनुसार रखा जाना चाहिए। इसके बाद, मामला रक्षा सचिव स्तर तक नहीं गया था और सी. जी. ओ. 02/09 में ए. सी. आर. विचार के बदले हुए मानदंडों के अनुसार डी. पी. सी. आयोजित करने के लिए संयुक्त सचिव से मंजूरी प्राप्त की गई थी, जिसे 23.06.2009 पर घोषित किया गया था और यह तब लागू नहीं था जब रिक्तियां 16.02.2009 पर उत्पन्न हुईं। अतः इस पर विचार नहीं किया जा सकता था। संशोधित निर्देश तैयार करने की पूरी कवायद. सी.

जी. ओ. 02/09 में निहित, के. सी. पांडे को लाभान्वित करने के लिए थी, जो सी. जी. ओ. 02/05 के अनुसार मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे, और प्रतिवादी डी. आई. जी. के पद के प्रमुख के तहत प्रासंगिक श्रेणीकरण के आधार पर योग्यता में श्रेष्ठ होता, जो उसके पास प्रासंगिक समय पर था।

30. विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या पिछली विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के संदर्भ में नई विशेष अनुमति याचिका को बनाए रखने योग्य कहा जा सकता है, जो कि 21.11.2014 के आदेश के अनुसार यहाँ निकाला गया हैः

"याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति के साथ इस विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के लिए अनुमति चाहते हैं।

अनुमति दी जाती है। विशेष अनुमति याचिका को तदनुसार वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने इस याचिका के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है।

31. उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन को खारिज करने के बाद, एक विशेष अनुमति याचिका नए सिरे से दायर की गई थी। मुख्य रिट याचिका को खारिज करने और समीक्षा आवेदन को खारिज करने के खिलाफ, विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी और प्रतिवादी संख्या 1 को सुनने के बाद अनुमति दी गई है और दो अपीलों को प्राथमिकता दी गई है (2015 का सी. ए. संख्या 13776-13777)। यद्यपि ए. एस. जी. द्वारा अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया था कि यह पहले श्री गुरु कृष्ण कुमार द्वारा स्वीकार किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित

विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि विशेष अनुमति याचिकाएं बनाए रखने योग्य होंगी और गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और वे तकनीकी आधार पर विशेष अनुमति याचिका की स्थिरता पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम अपीलार्थी की ओर से उठाए गए उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बी. पी. सिंह ने इसका विरोध किया था, अन्यथा भी, कानूनी पहलू पर रियायत की कोई उपयोगिता नहीं है। हालाँकि, हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं में 27.11.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, हम पाते हैं कि आवेदन आई. ए. संख्या 1/15 अपीलकर्ताओं की ओर से इस न्यायालय द्वारा 21.11.2014 को पारित आदेश में संशोधन के लिए दायर किया गया था और उक्त आदेश को संशोधित करने और समीक्षा आवेदन को खारिज करने के मामले में मुख्य आदेश को नए सिरे से चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान आई. ए. सं. 1/15 में ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, एस. एल. पी. (सी) सं. 25293/2013 में आई. ए. सं. 3 में इस न्यायालय के दिनांक 10.4.2015 के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 05.08.2013 के समान आदेश को संशोधित किया था, ताकि याचिकाकर्ता को दिनांक 20.12.2012 के मुख्य आक्षेपित आदेश पर हमला करने की अनुमति दी जा सके, साथ ही समीक्षा पर पारित आदेश भी, यदि याचिकाकर्ता समीक्षा याचिका में असफल रहता है।

32. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब अपील दायर करने की अनुमति दी गई है, तो हम इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.11.2014 के आदेश को इस प्रभाव से संशोधित करना उचित समझते हैं कि समीक्षा आवेदन खारिज होने की स्थिति में एक नई विशेष अनुमति याचिका में 1 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर हमला करने की स्वतंत्रता दी गई है।

33. हालाँकि, संध्या एजुकेशनल सोसाइटी के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के एक निर्णय पर प्रतिवादी द्वारा भरोसा रखा गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि एक बार विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने के बाद समीक्षा आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ, विशेष अनुमति याचिका को नए सिरे से दायर करने की अनुमति लिए बिना, मुख्य आदेश पर फिर से सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हमें इस प्रश्न में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न को खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम महादेश्वर एस. एस. के. लिमिटेड में एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया है। हालाँकि, जैसा कि हमने आदेश को संशोधित किया है, अपील बनाए रखने योग्य हैं।

34. मामले के गुण-दोष पर आते हुए, विचार करने योग्य प्रश्न उस तारीख के संबंध में है जब पदों को वास्तव में तत्काल मामले में बनाया जा सकता है, यानी 16.2.2009 पर, या जब भारत के राष्ट्रपति ने 22.05.2009 और 23.06.2009 पर पदों को मंजूरी दी थी, तो प्रत्यर्थी द्वारा भारत सरकार (व्यवसाय का लेनदेन) नियम, 1961 (इसके बाद '1961 नियम' के रूप में संदर्भित) पर निर्भरता रखी गई है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। प्रत्यर्थी ने सुरक्षा पर स्थायी समिति से संबंधित 1961 के नियमों की नियम 6 (1) की पहली अनुसूची में निहित प्रावधानों पर भरोसा किया था, जिसके द्वारा उसे कुछ मामलों से निपटने की शक्ति दी गई है।

अनुसूची के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया हैः

"8. <u>सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति।</u>

(i) xxxxx

(ii) xxxxx

(iii) xxxxx

(iv) xxxxx

(v) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित श्रमशक्ति आवश्यकताओं की समीक्षा करना, जिसमें भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समान वेतन या वेतनमान और ग्रेड वेतन वाले पदों के निर्माण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए नई संरचनाओं की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।

35. दूसरी ओर, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी देते हुए दिनांकित 22.05.2009 पर भरोसा किया है, जिसमें वेतन बैंड Rs.37,400-67,000 प्लस ग्रेड वेतन 10,000/-रु. में महानिरीक्षक (सामान्य कर्तव्य) के पद पर कमांडर, तटरक्षक क्षेत्र (उत्तर पश्चिम) का एक पद बनाया गया है। , भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक, तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली को लिखा गया और 3 पदों के संबंध में दिनांक 23.06.2004 का संचार भी किया गया।

36. उन्होंने वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 11 पर भी भरोसा किया है, जो इस प्रकार हैः

“11. पदों का सृजनः

(1) इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई पद नहीं बनाया जाएगा।

(a) xxxxx

(b) xxxxx

(c) स्थायी आधार पर, वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति के साथ बचत करें, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए बाद के वर्षों में बचत स्थापित नहीं की जा सकती है। xxxx"

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 30.05.1985 के कार्यालय ज्ञापन पर भी भरोसा रखा गया है, जिसमें पदों के सृजन के संबंध में निम्नलिखित भाग पर भरोसा किया गया हैः

"सृजन :

(1) सचिवों, विशेष सचिवों, अतिरिक्त सचिवों, संयुक्त सचिवों या समकक्ष के गैर-योजना पदों के सृजन के प्रस्तावों के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है (एक ही समूह के पदों को समाप्त करके या पदोन्नति की तत्काल पंक्ति में समान बचत की पेशकश करने के बाद) और इस उद्देश्य के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को मंत्रिमंडल के लिए एक मसौदा नोट तैयार करना आवश्यक है और इसे प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा (वित्त मंत्रालय के विचारों को शामिल करने के बाद) अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करने से पहले परीक्षा और वित्त मंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग को भेजना आवश्यक है।

इस प्रकार, इसे उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन पर प्रस्तुत किया गया था और जब मामला विचार के लिए आया तो वित्त मंत्रालय की मंजूरी सी. सी. एस. के समक्ष होनी थी।

37. यह उपरोक्त नियम 11 (i) (c) और 30.05.1995 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन, जिसे पक्षों के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया है, से स्पष्ट है कि

पदों के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी आवश्यक है। तत्काल मामले में, यह प्रतिवादी द्वारा स्थापित मामला नहीं था कि मामले को सी. सी. एस. के समक्ष रखने से पहले ही वित्तीय मंजूरी दे दी गई थी। उच्च न्यायालय ने यह भी नहीं पाया है कि मामले को सी. सी. एस. के समक्ष रखे जाने से पहले वित्तीय मंजूरी दी गई थी। हमारी राय में, पदों को अंततः बनाया जा सकता है जब राष्ट्रपति की मंजूरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत प्रदान किए गए 22.05.2009 और 23.06.2009 दिनांकित संचार के माध्यम से दी गई थी। चाहे जो भी हो, भले ही हम यह तर्क देने के लिए मान लें कि मामला सी. सी. एस. में रखे जाने से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी और सी. सी. एस. ने अंततः 16.02.2009 पर पद बनाए थे जो तत्काल मामले में मामले को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नहीं झुकाएंगे।

38. सबसे पहले, यह किसी भी नियम के परिवर्तन का मामला नहीं है और जहां विज्ञापन जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी और नियमों को बाद में संशोधित किया गया था या पदोन्नति की प्रक्रिया में देरी की गई थी, इस न्यायालय का विचार है कि जो नियम अस्तित्व में थे, जब रिक्तियां उत्पन्न हुईं, उन्हें तब तक ध्यान में रखा जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से निर्णय नहीं लिया जाता है। वाई. वी. रंगैया (सुप्रा) के मामले में पदोन्नति के लिए सूची तैयार करने में देरी हुई थी जिसे सितंबर, 1976 तक तैयार करने की आवश्यकता थी। इसे 1977 में पदोन्नति के नियमों में संशोधन के बाद तैयार किया गया था। संशोधनों के आधार पर, पदोन्नति के लिए यू. डी. सी. के साथ एल. डी. सी. पर विचार करने के मूल नियम को हटा दिया गया था। संशोधन ने एल. डी. सी. की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित किया, इसलिए, 1976 में उत्पन्न रिक्तियों को एल. डी. सी. सहित योग्य व्यक्तियों से भरने का आदेश दिया गया। तत्काल मामले में स्थिति अलग है, पदोन्नति के नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है और केवल एसीआर मानदंडों को बदला गया है। इस प्रकार,

वाई. वी. रंगैया (ऊपर) का अनुपात आकर्षित नहीं होता है। हमारी सुविचारित राय में, विचाराधीन पदों को केवल वर्ष 2009 में बनाया गया था। वे पहले अस्तित्व में नहीं थे। डी. पी. सी. को कॉल करने में कोई देरी नहीं हुई। इस प्रकार, प्रक्रिया की प्रयोज्यता के लिए निर्धारक तिथि डी. पी. सी. की तिथि होगी। सी. जी. ओ. 02/09 जो 4 साल की कवायद के बाद जारी किया गया था, लागू था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में कानून में गंभीर त्रुटि की है कि सी. जी. ओ. 02/05 को लागू किया जाना चाहिए और इसका अनुपालन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से, जब डी. पी. सी. की तिथि 23.07.2009 थी। यह डी. पी. सी. की तारीख है जो तत्काल मामले में मायने रखती है और जो प्रक्रिया प्रचलित है-जिस तारीख को डी. पी. सी. आयोजित की जाती है, वह लागू होती है। इस प्रकार, सी. जी. ओ. 02/09 में निहित प्रावधान लागू होंगे और सी. जी. ओ. 02/09 में निहित ए. सी. आर. से संबंधित निर्देशों के अनुसार डी. पी. सी. को सही माना गया था।

39. एक और पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। तटरक्षक (सामान्य) नियम, 1986 ने तटरक्षक आदेश के अर्थ को परिभाषित किया हैः "नियम 2 (डी). "तटरक्षक आदेश" का अर्थ है महानिदेशक द्वारा जारी आदेश। जब महानिदेशक द्वारा सी. जी. ओ. जारी किया जाता है, तो उसे रक्षा मंत्रालय की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 1986 के नियमों के तहत ऐसी कोई मंजूरी प्रदान नहीं की जाती है और उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि महानिदेशक तटरक्षक सी. जी. ओ. 02/09 जैसे आदेश जारी कर सकते हैं। अन्यथा भी, तटरक्षक बल के संचार से यह स्पष्ट है कि यह मामला सूचना के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। प्रतिवादी द्वारा अनुलग्नक आर-20 के रूप में दायर महानिरीक्षक दिनांक 18.5.09 की टिप्पणियों की प्रति में, पैरा 5 इंगित करता है कि संशोधित सी.

जी. ओ. को केवल सूचना के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। पैरा 5 नीचे निकाला गया है:

"5. इसके अलावा, सी. जी. ओ. 02/2005 के विभिन्न प्रावधानों को सी. जी. अधिकारियों के विभिन्न रैंकों में पदोन्नति के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित वर्तमान सेवा आवश्यकताओं के अनुसार और अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है। संशोधित सी. जी. ओ. की एक प्रति जानकारी के लिए सामने रखी गई है। "

40. रक्षा मंत्रालय के लिए 16.06.2009 दिनांकित सीजीएचक्यू टिप्पणियाँ, जो प्रक्रिया में परिवर्तन का संकेत देती हैं, इस प्रकार है,

"3. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि रिक्तियों की संख्या/जारी करने के संबंध में सी. जी. ओ. 02/2005 के प्रावधानों को उपरोक्त सी. जी. ओ. की पूर्व घोषणा के जे. एस. (नौसेना) के स्तर पर ही मंजूरी दी गई थी। सी. जी. ओ. 02/2005 के इन प्रावधानों में परिवर्तन, जैसा कि सी. जी. ओ. 02/2009 में शामिल किया गया है, रक्षा मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है।

4. यह सूचित किया जाता है कि सी. जी. ओ. 02/2009 में शामिल पदोन्नति के लिए संशोधित दिशानिर्देश 2009 के दौरान विभिन्न रैंकों में पदोन्नति के लिए लागू किए जाएंगे। सी. जी. ओ. 02/2009 को संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न रैंकों के लिए डी. पी. सी. आयोजित करने से पहले सभी क्षेत्रों में घोषित किया जाएगा।

41. मंत्रालय ने 17.06.2009 की टिप्पणियों में उल्लेख किया है कि पदोन्नति का मामला रक्षा सचिव की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था और रक्षा सचिव ने पहले निर्देश 02/05 के अनुसार सभी पदों को भरने की मंजूरी दी है। हालाँकि, हमारी

राय में, सी. जी. ओ. 02/09 को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। इसे अनुमोदन के उद्देश्य से नहीं भेजा गया था, बल्कि इसे केवल सूचना के उद्देश्य से भेजा गया था।

42. प्रत्यर्थी ने तटरक्षक मुख्यालय के दिनांकित 17.08.2001 आदेश द्वारा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन पर भी भरोसा किया था। वही यहाँ नीचे निकाला गया है

संख्या 11 (15)/2001/यूएस(पेर्स)/डी(नेवी-II)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त 2001

सेवा में,

तट रक्षक निदेशक,

मुख्यालय तट रक्षक,

नई दिल्ली ।

विषय: तट रक्षक मुख्यालय को प्रशासनिक शक्तियाँ

महोदय,

1. पिछले सभी आदेशों के स्थान पर, इस पत्र के अनुलग्नक 'ए' में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में तटरक्षक मुख्यालयों को प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए

राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती है। वित्तीय निहितार्थ वाली प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त यानी रक्षा मंत्रालय (वित्त) के परामर्श से किया जाएगा।

2. इस विषय पर मौजूदा नियमों/विनियमों में आवश्यक संशोधन नियत समय में किए जाएंगे। इस पत्र के अनुलग्नक-ए में निर्दिष्ट प्रमाणीकरण प्राधिकरण को गृह मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होगी।

3. यह रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति के साथ उनके यू. ओ. संख्या 613/एनबी/2001 दिनांक 17 अगस्त, 2001 के माध्यम से जारी किया गया है।

(अंजनी कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

<u>तटरक्षक महानिदेशक को प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।</u>

क्रम संख्या	विषय	अनुमोदन अधिकारी	प्रमाणिक प्राधिकरण
1-17	....	....	....
18	डीआइजी के पद तक अधिकारियों की पदोन्नति	निदेशक तट रक्षक	उपनिदेशक/ सहायक निदेशक

(बल दिया गया)

उपरोक्त शक्तियों के प्रत्यायोजन से यह स्पष्ट है कि रक्षा मंत्रालय से केवल तभी परामर्श किया जाना चाहिए जब सी. जी. ओ. जारी करते समय वित्तीय निहितार्थ हों, अन्यथा नहीं।

43. चूंकि पदों के निर्माण के लिए वित्तीय निहितार्थ थे, इसलिए प्रशासनिक मंज़ूरी पहले ही दी जा चुकी थी और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंज़ूरी के अनुदान के आधार पर, पद बनाए जाने लगे और उससे पहले, मामला वित्त मंत्रालय के पास गया होगा। दिनांक 17.08.2001 का आदेश प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में है, जिसमें रक्षा मंत्रालय (वित्त) के परामर्श का अधिकार है, जब मामले का वित्तीय निहितार्थ होता है और न कि ए. सी. आर. मानदंडों से संबंधित सी. जी. ओ. 02/09 जारी करने के संबंध में, जिसका जारी करने के लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं था, जिसके लिए डीजीआईसीजी 1986 के नियमों के तहत पूरी तरह से सक्षम था। इस प्रकार, सी. जी. ओ. के लिए, वित्तीय निहितार्थ के बिना, रक्षा मंत्रालय (वित्त) की मंज़ूरी के लिए यात्रा करना आवश्यक नहीं था।

हालाँकि, तथ्य यह है कि इससे पहले जब रक्षा मंत्रालय के सचिव ने 16.04.2009 पर इस मामले पर विचार किया था, तो सी. जी. ओ. 02/09 को घोषित नहीं किया गया था। एक बार सी. जी. ओ. 02/09 की घोषणा हो जाने के बाद, यह रक्षा मंत्रालय के सचिव के 16.04.2009 दिनांकित आदेश को नहीं, बल्कि इसे लागू करेगा। पदोन्नति पर कानून के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है न कि प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय के अनुसार। डी. पी. सी. जो जुलाई, 2009 के महीने में आयोजित किया गया था, हमारी राय में, सी. जी. ओ. 02/09 के अनुसार आयोजित किया जाना आवश्यक था और यह उचित रूप से आयोजित किया गया था।

44. सी. जी. ओ. 04/05 के उल्लंघन और 2008-2009 के लिए ए. सी. आर. की समीक्षा के संबंध में सचिव की टिप्पणियों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा की गई एक और अप्रिय टिप्पणी पर आते हैं। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से न केवल सचिव, रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों को गलत पढ़ा है, बल्कि सी. जी. ओ.

आदेश 04/05 के पैरा 54 के प्रावधानों को भी गलत पढ़ा है। सबसे पहले, हम सी. जी. ओ. 04/05 के पैरा 54 में निहित प्रावधानों को यहाँ से निकालते हैंः

"54. धारा VI और VII. जिन अधिकारियों को इन धाराओं का समर्थन करने की आवश्यकता होती है, वे इस आदेश के परिशिष्ट 'ए' में दिए गए हैं। ये अनुभाग समीक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ समीक्षा अधिकारियों की टिप्पणियों के लिए प्रदान किए गए हैं। उन्हें दिए गए बॉक्स में अधिकारी की पदोन्नति क्षमता का अपना मूल्यांकन भी दर्ज करना है। यदि वर्तमान आर. ओ./एस. आर. ओ. ने कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए किसी अधिकारी का निरीक्षण नहीं किया है तो इस तरह की रिपोर्ट की समीक्षा पिछले पदधारी आर. ओ./एस. आर. ओ. द्वारा की जानी चाहिए बशर्ते वह अभी भी सेवा में हो। ऐसे मामले में जहां पिछले आर. ओ./एस. आर. ओ. सेवानिवृत्त हो चुके हैं या रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं हैं, आई. ओ./आर. ओ. द्वारा संबंधित कॉलम में उस प्रभाव का एक संकेत दिया जाना चाहिए ताकि वर्तमान आर. ओ./एस. आर. ओ. ऐसी रिपोर्टों की समीक्षा कर सके।

पैरा 54 में उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यदि समीक्षा अधिकारी ने किसी अधिकारी को कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए नहीं देखा है, तो पूर्व अधिकारी द्वारा समीक्षा की जा सकती है बशर्ते वह अभी भी सेवा में हो। तत्काल मामले में यह विवादित नहीं है कि श्री आर. एफ. कोनट्रैक्टर, पूर्व पदाधिकारी, जो डी. जी. आई. सी. जी. का पद संभाल रहे थे, 30.11.2008 पर सेवानिवृत्त हुए थे और 01.12.2008 पर वर्तमान पदाधिकारी उक्त पद संभालने के लिए आए थे, जिन्होंने 90 दिन पूरे नहीं किए थे। यह स्पष्ट है कि यदि पूर्व पदधारी सेवानिवृत्त हो गए थे या समीक्षा रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो उस प्रभाव के लिए एक संकेतन टिप्पणी आर. ओ. द्वारा संबंधित कॉलम में की जानी चाहिए ताकि वर्तमान आर. ओ. को ऐसी

रिपोर्ट की समीक्षा करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के संकेतन की आवश्यकता थी ताकि समीक्षा लिखने के लिए अधिकारी की क्षमता को प्रतिबिंबित किया जा सके क्योंकि इस मामले में बड़ी संख्या में अधिकारियों के एसीआर की समीक्षा लिखने के लिए सामान्य अनुमति मांगी गई थी जो एसीआर की समीक्षा के उद्देश्य से संकेतन के बराबर थी। मान लीजिए, पूर्व पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके थे। वह संबंधित कॉलम में उक्त संकेतन बनाने के लिए उपलब्ध नहीं थे और वर्तमान पदधारी द्वारा संबंधित कॉलम में संकेतन नहीं करना असंगत होगा क्योंकि, यह स्वीकार किया जाता है कि पूर्व पदधारी सेवानिवृत्त हो गए थे और इसलिए समीक्षा लिखने के लिए उपलब्ध नहीं थे। जाहिर है, 90 दिनों की अनिवार्य अवधि पूरी होने से पहले डी. जी. आई. सी. जी. द्वारा मामले के तथ्यों की समीक्षा की जा सकती है। इस प्रकार, डी. जी. आई. सी. जी. अधिकारी, जिसने 90 दिन पूरे नहीं किए थे, सचिव की टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से सक्षम था।

निम्नलिखित मामला रक्षा मंत्रालय के समक्ष विचार के लिए रखा गया थाः

"रक्षा मंत्रालय के दिनांकित फाइल नोट 3 में यह भी कहा गया हैः

"वाइस एडमिरल अनिल चोपड़ा एवीएसएम ने 1 दिसंबर, 2008 को डीजीआईसीजी के रूप में पदभार संभाला है, वाइस एडमिरल आरएफ ठेकेदार सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए। 1 फरवरी 2009 को जिन तटरक्षक अधिकारियों से रिपोर्ट आनी है, उनके ए. सी. आर. की समीक्षा मौजूदा डी. जी. आई. सी. जी. द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिपोर्ट की तारीख को उनके कामकाज का निरीक्षण करने के लिए 3 महीने की सेवा प्रदान नहीं की गई है।

पैरा 2 पर श्री आर. के. शर्मा, उप निदेशक (कार्मिक), ओ. ए. एंड आर, तटरक्षक मुख्यालय द्वारा दिनांकित फाइल टिप्पणियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार हैः-

"इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां इस विषय पर रक्षा मंत्रालय से विशेष छूट मांगी गई हो।"

अवर सचिव (सी. जी.)/एम. ओ. डी. ने अपने 22.04.2009 दिनांकित नोट में कहा हैः-

उपरोक्त को देखते हुए, हम सी. जी. एच. क्यू. को सी. जी. ओ. 04/05 में निहित निर्देशों का पालन करने के लिए सूचित कर सकते हैं।

45. इसके बाद, मामला रक्षा मंत्रालय और रक्षा सचिव और निदेशक के पास गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांकित 23.4.09 का संचार नीचे दिया गया हैः

"रक्षा मंत्रालय

डी (सी. जी.-आर)

विषयः एसीआर की समीक्षा-तटरक्षक अधिकारी।

सी. जी. एच. क्यू. कृपया उनके नोट नं. OF/0303/ACR दिनांक 13 अप्रैल, 2009 का ऊपर उल्लिखित विषय पर संदर्भ लें।

2. तीन महीने से सी. जी. अधिकारियों का निरीक्षण नहीं करने वाले अधिकारी द्वारा ए. सी. आर. की समीक्षा सी. जी. ओ. 04/2005 के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जा सकती है।

(वी के तिवारी)

निदेशक (एन-II)

डीडीजी/सीजीएचक्यू

रक्षा मंत्रालय की आई संख्या 472/डी(सी. जी.-आर) दिनांक 23 अप्रैल 2009

दिनांक 22.04.2009 के उपरोक्त नोट से यह स्पष्ट है कि जिन अधिकारियों ने अवलोकन नहीं किया है, उनकी समीक्षा 04/05 के प्रावधानों के अनुसार, यानी सी. जी.ओ. 04/05 के पैरा 54 के अनुसार पूरी की जा सकती है।

46. उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय के निर्णय और सचिव के आदेश को गलत पढ़ा है। वास्तव में, रक्षा मंत्रालय के सचिव ने भी टिप्पणियों में कहा है कि एसीआर को सी. जी. ओ. 04/05 के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। सी. जी. ओ. 04/05 ने वर्तमान पदधारी डी. जी. आई. सी. जी. को ए. सी. आर. लिखने के लिए अधिकृत किया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने टिप्पणियों के साथ-साथ सी. जी. ओ. 04/05 के पैरा 54 के प्रावधानों को गलत तरीके से पढ़कर अन्यथा ठहराने में कानून में गंभीर गलती की है। रक्षा मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं था। सी. जी. ओ. 04/05 अंतिम था, जो प्रभावी था, और कार्रवाई आदेश के साथ-साथ सचिव, रक्षा मंत्रालय की उक्त टिप्पणियों के अनुसार थी।

47. इस प्रकार, हमारी राय में, उच्च न्यायालय को डी. जी. आई. सी. जी. की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से जब उन्होंने न केवल संबंधित अधिकारी के ए. सी. आर. बल्कि डी. आई. जी. रैंक के 36 अधिकारियों और कमांडेंट रैंक के 155 अधिकारियों की समीक्षा की है। शक्ति के अनधिकृत प्रयोग के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां पूरी तरह से अनावश्यक थीं।

48. समीक्षा अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों की शुद्धता के सवाल पर, ऐसा प्रतीत होता है कि एसीआर की अवधि 01.02.2008 से 31.01.2009 थी, डीजीआईसीजी ने उल्लेख किया था कि-

"अधिकारी ने समुद्र में एक विश्वसनीय प्रदर्शन किया है। उनकी जहाज की उपलब्धि कुछ दुर्घटनाओं और घटनाओं से कम हो गई है। एक मेहनती, समर्पित अधिकारी, जो अपने पेशे के प्रति स्पष्ट और ईमानदार है। आई. ओ. द्वारा कुछ हद तक अधिक मूल्यांकन किया गया। मैंने अपने पूर्ववर्ती की संख्यात्मक श्रेणीकरण को बनाए रखा हैः "

हम नवंबर 2007 की किसी विशेष घटना के संबंध में समीक्षा अधिकारी द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाते हैं। जहाज से संबंधित घटनाओं में से एक नवंबर, 2007 में हुई थी, जिसके संबंध में कारण बताना लंबित था और बाद में इसे अंतिम रूप दिया गया था। जहाज से संबंधित अन्य घटना, जिसका उल्लेख मूल्यांकन रिपोर्ट में किया गया था, वर्ष 2008 की थी, जो प्रासंगिक अवधि की थी। जो भी हो, जो टिप्पणियाँ की गई हैं, वे डी. जी. आई. सी. जी. की ओर से कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाती हैं, विशेष रूप से जब उन्होंने अपने पूर्ववर्ती द्वारा की गई संख्यात्मक श्रेणीकरण को बनाए रखा है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सामान्य कर्तव्य शाखा के 3 पद थे और प्रतिवादी को सामान्य कर्तव्य शाखा के बीच क्रम संख्या 4 पर रखा गया था और इस प्रकार, छोड़ दिया गया था। यह भी स्पष्ट है कि आई. जी.-के.सी. पांडे को बाध्य करने के लिए मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि डी. पी. सी. ने डी. आई. जी. रैंक के के मामलों में 31.10.2005 तक की वरिष्ठता पर विचार किया था। प्रतिवादी के बैच में उनके सहित 5 अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने डी. आई. जी. के 5 ए. सी. आर. पूरे कर लिए थे। प्रतिवादी आई. जी.-के.सी. पांडे के पास डी. आई. जी. के पद पर वर्ष 2005,2006 और 2008 के लिए केवल तीन प्रतिवेदन थे। इस प्रकार, प्रत्यर्थी बैच के सभी 5 अधिकारियों पर पैरा 7 सी. जी. ओ. 02/09 के अनुसार विचार किया गया, जिसे यहां निकाला गया हैः

सी. जी. ओ. 02/09

"7. पदोन्नति के लिए उपयुक्तता प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड और प्रदर्शन पर आधारित होगी जैसा कि वर्तमान रैंक में पिछले पांच वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों में परिलक्षित होता है। यदि वर्तमान रैंक में पर्याप्त एसीआर उपलब्ध नहीं हैं, तो पिछले रैंक सहित लगातार 05 एसीआर पर विचार किया जाएगा। हालांकि, कमांडेंट (जे. जी.) के मामले में वर्तमान रैंक में एसीआर वर्षों पर ही विचार किया जाएगा।

49. उच्च न्यायालय ने सी. जी. ओ. 02/09 की घोषणा के पीछे दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है। जैसा कि पहले से ही आयोजित किया गया था, यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप लाने के लिए था। इससे पहले भी, सी. जी. ओ. 02/09 के पैरा 7 के समान प्रावधान सी. जी. ओ. 14/02 में सी. जी. ओ. 02/05 जारी करने से पहले मौजूद था। सी. जी. ओ. 02/09 जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 2005 में, ऐसा नहीं था कि किसी विशेष अधिकारी को बाध्य करने के लिए अचानक अभ्यास किया गया था। हम डी. आई. जी. के. पी. एस. रघुवंशी द्वारा की गई अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। हम भारत संघ की अपीलों को स्वीकार करते हैं और डी. आई. जी. के. पी. एस. रघुवंशी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है।

50. परिणामस्वरूप, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर देते हैं। तथापि, हम स्पष्ट करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध किए गए आक्षेपों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्रदर्शन अच्छा था लेकिन उन्हें तुलनात्मक योग्यता के आधार पर उपयुक्त नहीं पाया गया था। जैसे ही और जब अवसर आता है, अपीलार्थी आई. जी. के पद पर आगे की पदोन्नति के लिए कानून के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के मामले पर

सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। याचिका दायर करने के लिए उसे पीड़ित नहीं किया जाएगा और गुण-दोष के अनुसार उसे उसका हक दिया जाएगा।

51. सिविल अपील सं. 13776-13777/2015 और आई ए संख्या 1/2015 एस. एल. पी. (सी) संख्या 30380/2014, तदनुसार, अनुमत हैं। डी. आई. जी. के. पी. एस. रघुवंशी द्वारा दायर अपील सिविल अपील संख्या 13378/2015 को खारिज कर दिया जाता है।

सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

कोई लागत नहीं।

निधि जैन   मामलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक कैलाश पूनिया द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।